an>

Title:Need to include 'Kumahar' caste of Uttar Pradesh in the list of Scheduled Castes.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के शासनादेश संख्या 12025/1/2008-एस.सी.डी.(आर.एल.सैल) दिनांक 31.03.2008 में उल्लेख है कि "शिल्पकार जाति" उत्तराखंड की अनुसूचित जाति की सूची में क्रम सं. 64 पर अधिसूचित है। दिनांक 24.04.1996 की उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन पर्वतीय मंत्रालय के अधीन उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में प्रमुख सचिव द्वारा आदेश सं. 223/उ.ख.दे./96 में सूचित किया गया कि "शिल्पकार जाति" अनेक प्रकार की दस्तकारी में संलग्न उपजातियों का समूह है। इन उपजातियों के संबंध में व्याप्त भ्रान्तियों को दूर करने के लिए 16 दिसम्बर, 2013 को उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना में इन "शिल्पकार जाति" के समूह के अंतर्गत आने वाली 38 उपजातियों को स्पÂट किया गया है जिसमें क्रमांक 25 पर "कुम्हार" अंकित है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड में तो कुम्हार जाति अनुसूचित जाति में सम्मिलित है परंतु उत्तर प्रदेश में यह जाति अभी तक अनुसूचित वर्ग में सम्मिलित नहीं की गई है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि भारत सरकार के दिनांक 31.03.2008 के शासनादेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में भी कुम्हार जाति को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का कÂट करें।